# झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

**डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–754 वर्ष 2017**

मदन गोपाल मंडल, पे0–स्वर्गीय काढ़ी नाथ मंडल, निवासी–महावीर कॉलोनी सत्संग नगर, देवघर, डाकघर एवं थाना–देवघर, जिला–देवघर।

..... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखंड राज्य।

2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखंड सरकार, टेलीफोन भवन, धुर्वा, डाकघर–धुर्वा, थाना–जगन्नाथपुर, जिला–राँची।

5. जिला शिक्षा अधिकारी, देवघर, डाकघर एवं थाना–देवघर, जिला–देवघर।

.... ..... उत्तरदातागण

**कोरम :** **माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रमाथ पटनायक**

याचिकाकर्ता के लिए :– मेसर्स रीता कुमारी और शिवांगी, अधिवक्तागण

उत्तरदाताओं के लिएः– जी0ए0 का जे0सी0

**02 / 18.04.2017** तत्काल रिट आवेदन में याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ–साथ देय राशि पर अनुपयुक्त अवकाश के लिए छुट्टी नकदीकरण के भुगतान के लिए प्रत्यर्थियों को रिट / निर्देश के लिए प्रार्थना की है क्योंकि याचिकाकर्ता को इसका भुगतान नहीं किया गया है।

2. तथ्य, जैसा कि रिट एप्लिकेशन में खुलासा किया गया है, यह है कि याचिकाकर्ता को वर्ष 1974 में सेंट मेरी गर्ल्स हाई स्कूल, देवघर में चपरासी के रूप में

नियुक्त किया गया था और सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.08.2015 को सेवानिवृत्त हुए थे। जिस स्कूल से याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त हुआ है, वह एक सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक हाई स्कूल है और विचाराधीन स्कूल के कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृत्त लाभों के भुगतान की सभी खर्च सरकारी खजाने से राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है।

3. पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता की शिकायत बहुत संकीर्ण दायरे में है और डब्ल्यू0पी0 (एस) सं0 506, 509 और 512 वर्ष 2013 में पारित इस न्यायालय के निर्णय से पूरी तरह से आच्छादित है। जहाँ तक छुट्टी नकदीकरण के भुगतान के लिए मुद्दा है, याचिकाकर्ता एक सरकारी सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक मिडिल स्कूल का सेवानिवृत्त कर्मचारी है और यह मुद्दा अब अनिर्णीत विषय का नहीं रहा, इस न्यायालय द्वारा मरियम तिर्की बनाम झारखंड राज्य और अन्य जो (2014 (1) जे0बी0सी0जे0 465) में रिपोर्ट किया गया है, में पारित निर्णय के मद्देनजर और अब माननीय उच्चतम न्यायाालय द्वारा दिनांक 15.12.2014 को विशेष अवकाश अपील (सी) संख्या (एस) 20606–20607/2014 में पारित निर्णय के द्वारा पुष्टि किया गया। तद्नुसार, याचिकाकर्ता को अवकाश नकदीकरण राशि के भुगतान के लिए पारित निर्णय के मद्देनजर रिट याचिका का निपटान किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी सं0 3 को अनुलग्नक–1 के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, लेकिन उक्त आवेदन ने आज तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

5. उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता यह विवाद नहीं करते हैं कि गैर–सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल के शिक्षकों को स्वीकार्य अवकाश नकदीकरण से संबंधित पूर्वोक्त मुद्दा अब मरियम तिर्की (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, द्वारा तय किया गया है।

6. पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, ऐसी परिस्थितियों में, रिट याचिका का निपटारा प्रतिवादी संख्या–3 को निर्देश देकर किया जाता है कि वह याचिकाकर्ता के संबंधित सेवा रिकॉर्ड की उचित जांच के बाद छुट्टी नकदीकरण राशि देने के मामले में निर्णय याचिकाकर्ता की ओर से अभ्यावेदन के साथ इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से बारह सप्ताह की अवधि के भीतर मरियम टिर्की (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय के मद्देनजर लें।

7. तद्नुसार, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(प्रमाथ पटनायक, न्याया0)